

R.M.M. Law College, Sahayra
Lecturer - Nareshji Anand
L.L.B. Part II Ind
Paper - VI A
Environmental Law

वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निर्माण नियमनावली, 1986

18 नवम्बर 1986 से प्रवृत्त यह एक अधिनियम विधान है। आरंभ के मॉडर्न एण्ड विस्वसि प्रां लिं बनाम बीजतल वॉसपोर्ट थॉफिसर के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिनियम विधान की वैधता एवं प्रवृत्त करने के लिए प्रकाशन आवश्यक है; - परिभाषाएँ :-

अधिनियम, चयन, प्रवृत्त, बैंक सदस्य - स्तम्भ, परिशिष्ट, चार वर्ष की परिभाषाएँ दी गयी हैं। जो मूल अधिनियम की व्याख्या से स्पष्ट है। जिन शब्दों की नियमावली में परिभाषित नहीं किया गया है उन्हें अधिनियम में प्रयुक्त अर्थ में स्वीकार किया गया है।

बोर्ड एवं समितियों के कार्य स्वत्वात्मक प्रक्रिया -

(i) बैंक की सूचना (नियम-3) - (ii) बैंक बोर्ड की बैंक उर दिनां होगी (iii) चयन नियंत्रण करेगा।

(iv) विशेष बैंक - बोर्डों पांच सदस्यों के लिए नियत अथवा कक्षीय

(2)

चरकार के निर्दिष्टा पर चेयरमैन अहूत करेगा।

(iii) सामान बैठक के लिए 15 दिन तथा विशेष बैठक के लिए बैठक की स्पष्ट सूचना सदस्य-सूचिव या चेयरमैन द्वारा सदस्यों अथवा वार्ड के द्वारा आधिकारिकी को दी जाएगी। सूचना में बैठक की स्थान, समय और कार्यवृत्त निर्दिष्ट रहेगा।

(iv) नोटिस की सूचना सदस्यों को (a) विद्यार्थी लीफ्टनाटक द्वारा या (b) अन्विष्ट द्वारा आवास या व्यवसाय के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा या (c) परिस्थितियों में चेयरमैन जो बेक समय उस तरीके से दी जाएगी।

(v) कोई भी विषय बैठक में स्वीकार नहीं होगा जिसकी कालस्य ने 10 दिन की स्पष्ट सूचना नहीं दी है। यह सूचना कालस्य को चयन को दी जानी चाहिए तथा चेयरमैन द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए।

(vi) यदि चेयरमैन बैठक की स्थगित करता है तो कारण बताएगा और स्थगित बैठक के लिए नयी सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) पीठासीन अधिकारी (नियम-4) -

प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति सदस्य उपस्थित सदस्यों में से करेगा।

(3) बहुमत द्वारा निर्णय (नियम-5)

(a) बैठक में निर्णय

(3)

अनुपस्थित सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में
राय उठाकर बहुमत के पक्ष में लिए जाएंगे।

(ii) कानून नोटों की द्वाारा से चोगरीय या
पीछासीन अधिकारी का द्वितीय आवेग निर्णायक
मत होगा।

(4) गणप्रति (नियम-6)

(i) किसी बैठक की गणप्रति
सदस्यों की होगी।

(ii) यदि गणप्रति नहीं है तो
चोगरीय अथवा पीछासीन अधिकारी बैठक स्थगित
करेगा और ऐसे स्थान के 15 मिनट तक गणप्रति
नहीं हुई तो दूसरे या गतिविधि के किसी दिन के
लिए जो वह निर्धारित करे स्थगित कर देगा।

(iii) यदि बैठक में गणप्रति
नहीं होती तो अगली बैठक की तिथि एवं
समय के बारे में अनुपस्थित सदस्यों को नई सूचना
दी जाएगी।

(iv) स्थगित बैठक में कोई ऐसा विषय
विचारित नहीं किया जाएगा जो मूल कार्यवृत्त पर नहीं था।

(5) सम्पादन लेख या चोगरी (नियम-7)

(i) सदस्य सचिव द्वारा उक्त द्वारा
अनुपस्थित पुस्तिका में बैठक में वाग लेनासवाला
सदस्यों के नाम सहित कार्यवाही आंकित की जाती

(ii) पूर्व बैठक का कार्यवृत्त परवा पढ़ा जाएगा
और उसकी सुझाव होगी वह चोगरीय अथवा
पीछासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होगी।

(iii) कार्य के चोगरी के दौरान कन्सीलरों के कार्यवृत्त में सदस्यों

(4)

के निरीक्षणार्थ कार्यवाही सुधी रहेगी।

(6) बैंक के दौरान व्यवस्था को मध्य करना (नियम 8)
- संयोजन अथवा पीएसबी अधिकारी

बैंक के समय व्यवस्था को मध्य रखेगा।

(7) बैंक में संपादित कार्य (धारा-9)

(i) बिना गणपूर्ति के कोई कार्यवाही नहीं सम्भाले होगी।

(ii) संयोजन अथवा पीएसबी अधिकारी के अनुमति के बिना किसी भी विषय पर विचार नहीं होगा जो कार्यवाही पर अंकित नहीं है अथवा जिसके लिए किसी सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना नहीं दी गई है।

(8) कार्यवाहियों का क्रम (धारा-10)

(i) सदस्यों में वितरित कार्यवाही के लिए विभागों के क्रमानुसार ही कार्य संपादित होगा।
(ii) बैंक के प्रारंभ में अथवा बैंक के दौरान किसी विषय के बहस के समाप्ति द्वारा व्यवस्था की शुरुआत से संयोजन अथवा पीएसबी अधिकारी के अनुमति से क्रम में परिवर्तन किया जा सकेगा।

(9) समिति के कार्यवाहियों की प्रक्रिया- कोई द्वारा गठित समिति

की प्रक्रिया, समय तथा बैंक के स्थान पर होगा जो समिति का अध्यक्ष निर्दिष्ट करेगा।

(10) ग्रो का अनुपात (नियम 12)

(i) किसी निवासी बैंक के लिए 50% प्रति कार्य दिन और

